Sabse Pehle Life Insurance

A Smart Decision Today, for a Secured Future Tomorrow.

LIC's New Pension Plus

Plan No.: 867 UIN: 512L347V01

(A NON - PAR, LINKED, PENSION, INDIVIDUAL, SAVINGS PLAN)

Also Available Online

Plan your own pension with LIC's New Pension Plus

- Age Eligibility: 25-75 years
- Flexible Premium Payment
- Guaranteed Additions
- Deferred Annuity
- Market Linked Payout
- Partial Withdrawals

Download LIC Mobile App LIC digital

Visit: licindia.in

Call Centre Services (022) 6827 6827

Our WhatsApp No. 8976862090 Say 'Hi'

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Har Pal Aapke Saath

Follow us : LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

LIC / P1 / 2024 - 25 / 24 / Eng/ SB

एलआईसी का नया पेंशन प्लस (यूआईएन: 512L347V01)

(एक नॉन–पार, सहभागी, व्यक्तिगत पेंशन बचत योजना)

इस पॉलिसी में, निवेश पोर्टफोलियो के निवेश जोखिम पॉलिसीधारक द्वारा वहन किए जाते हैं।

यूनिट लिंक्ड बीमा प्रॉडक्ट अनुबंध के पहले पांच वर्षों के दौरान किसी भी प्रकार की तरलता प्रदान नहीं करते हैं। पांचवें वर्ष के अंत तक पॉलिसीधारक यूनिट लिंक्ड बीमा प्रॉडक्ट में निवेश किए गए पैसे को पूरी तरह या आंशिक रूप से न तो अभ्यर्पण कर सकेंगे और न ही निकाल सकेंगे।

यह एक पेंशन उत्पाद है। लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत ऐसे लाभों के विनिमय की सीमा को छोड़कर, अभ्यर्पण, पूर्ण निकासी या निहितीकरण के माध्यम से हितलाभ वार्षिकी के रूप में उपलब्ध होंगे।

एलआईसी का नया पेंशन प्लस एक नॉन–पार, सहभागी, पेंशन व्यक्तिगत बचत योजना है जो नियमित और अनुशासित बचत द्वारा कोष बनाने में मदद करती है जिसे नियमित आय में परिवर्तित किया जा सकता है। इस योजना को एकल प्रीमियम या नियमित प्रीमियम भुगतान आवृत्ति के रूप में खरीदा जा सकता है।

आप इस योजना को ऑफलाइन (मध्यस्थ के माध्यम से) और ऑनलाइन दोनों तरह से खरीद सकते हैं। इस योजना को ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया **www.licindia.in** पर जाएं।

आपके पास देय प्रीमियम की राशि, प्रीमियम की न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अधीन पॉलिसी अवधि, पॉलिसी अवधि और निहितीकरण आयु चुनने का विकल्प होगा जैसा कि नीचे पैरा 5 में निर्दिष्ट किया गया है। नियमित प्रीमियम पॉलिसी के तहत, प्रीमियम पॉलिसी की अवधि के दौरान देय होगा। निहितीकरण होने पर (यानी पॉलिसी अवधि के अंत में), आपको पॉलिसी की राशि का उपयोग करने के लिए पैरा 2.I).ii में निर्दिष्ट विकल्प उपलब्ध होंगे। नीचे पैरा 4.I में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन मूल पॉलिसी के समान नियमों और शर्तों के साथ उसी पॉलिसी के भीतर संचय अवधि या स्थगन अवधि को बढ़ाने का विकल्प भी आपके लिए उपलब्ध होगा।

आपके पास उपलब्ध चार प्रकार के निवेश फंडों में से किसी एक में प्रीमियम निवेश करने का विकल्प है। भुगतान किए गए प्रत्येक प्रीमियम को, प्रीमियम आवंटन शुल्क की कटौती के बाद, चुने गए फंड की यूनिट्स खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा। यूनिट फंड का मूल्य विभिन्न अन्य शुल्कों की कटौती के अधीन होगा, जो या तो यूनिट्स की संख्या को रद्द करके या नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) को समायोजित करके किया जाएगा। एनएवी के आधार पर यूनिट्स का मूल्य बढ़ या घट सकता है।

जैसा कि नीचे के पैरा 3 में उल्लेखित है, चालू पॉलिसी के तहत, वार्षिक प्रीमियम/सिंगल प्रीमियम को एक निश्चित प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट पॉलिसी अवधि के अंत में यूनिट फंड में जोड़ा जाएगा और यूनिट्स खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा।

1. प्रीमियम:

क) **प्रीमियम का भुगतान:** आप प्रीमियम भुगतान की आवृत्ति सिंगल प्रीमियम या नियमित प्रीमियम के रूप में चुन सकते हैं। नियमित प्रीमियम में, प्रीमियम भुगतान का तरीका वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक (केवल एनएसीएच के माध्यम से) हो सकता है।

प्रीमियम भुगतान का तरीका प्रारंभ में चुना जाना चाहिए। (विभिन्न नियमित प्रीमियम भुगतान तरीकों में से) विकल्प को पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी आगामी पॉलिसी वर्षगांठ पर बदला जा सकता है, बशर्ते वह न्यूनतम प्रीमियम और प्रीमियम गुणकों के प्रावधानों के अधीन हो, जैसा कि पैरा 5.ii) और iii) में उल्लिखित है।

ख) **अनुग्रह अवधि:** वार्षिक या अर्ध–वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिनों की अनुग्रह अवधि और मासिक (एनएसीएच) प्रीमियम के लिए 15 दिनों की अनुमति दी जाएगी।

2. चालू पॉलिसी के तहत देय हितलाभ (जहां सभी देय प्रीमियम का भुगतान किया गया है):

क) **मृत्यु पर देय हितलाभ:**

i. निहितीकरण की तारीख से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर: (नियमित प्रीमियम में अनुग्रह अवधि के दौरान):

निम्नलिखित में से **अधिक** राशि देय होगी:

- **मृत्यु की सूचना की तिथि** के अनुसार यूनिट फंड का मूल्य; या
- सुनिश्चित मृत्यु हितलाभ

जहां,

बीमित मृत्यु हितलाभ, कुल प्राप्त प्रीमियम का 105% होगा, जो मृत्यु की तिथि तक प्राप्त किया गया हो और मृत्यु से ठीक पहले के दो वर्षों की अवधि के दौरान किए गए आंशिक निकासी (जैसा कि पैरा 4.a. में निर्दिष्ट है) को घटाकर निर्धारित किया जाएगा।

मृत्यु की तिथि के बाद वसूल किए गए **किसी भी शुल्क,** जैसे कि फंड प्रबंधन शुल्क (एफएमसी) और एफएमसी पर कर/टैक्स (अर्थात पॉलिसी प्रशासन शुल्क और उस पर कर/टैक्स) के अलावा अन्य शुल्क, **मृत्यु की सूचना की तिथि** पर उपलब्ध यूनिट फंड मूल्य में वापस जोड़ा जाएगा और नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी को मृत्यु हितलाभ के साथ दिया जाएगा। यदि मृत्यु की तिथि के बाद कोई गॉरन्टीड एडिशन्स जोड़ी गई हो, तो उसे यूनिट फंड से वसूल किया जाएगा।

नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी नीचे दिए गए पैरा 2.क) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार पॉलिसी की आय का उपयोग करेगा।

ii. बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर पॉलिसी की राशि का उपयोग:

यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु निहितीकरण की तिथि से पहले होती है, तो, नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी निम्नलिखित विकल्पों में से **एक** का चयन कर सकते है।

क. पॉलिसी की पूरी राशि की निकासी। एक निपटाण विकल्प उपलब्ध होगा, बशर्ते कि यह पैरा 4.घ) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन हो।

या

ख. पूरी राशि या उसके कुछ हिस्से का तत्काल या स्थगित वार्षिकी खरीदने के लिए, उस **समय प्रचलित वार्षिकी दरों** पर उपयोग करें।

वार्षिकी की खरीद उस समय उपलब्ध वार्षिकी उत्पाद(उत्पादों) के नियमों और शर्तों के अधीन होगी।

यदि पॉलिसी की आय समय-समय पर संशोधित आईआरडीएआई (इंश्योरेंस प्रोडक्ट) विनियम, 2024 की अनुसूची के विनियमन 5 (i) में परिभाषित न्यूनतम वार्षिकी खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो पॉलिसी की राशि नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी को एकमुश्त दी जा सकती है।

ख) निहितीकरण पर देय हितलाभ (अर्थात पॉलिसी अवधि के अंत में):

i. निहितीकरण की तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर:

निहितीकरण की तिथि पर यूनिट फंड के मूल्य के बराबर राशि निहित हो जाएगी और इसका उपयोग पैरा 2.ख).ii में उल्लिखित वार्षिकीकरण प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

ii. पॉलिसी की राशि का निहितीकरण/समर्पण/अस्थायी रोक के समय वार्षिकीकरण:

निहितीकरण की तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बीमित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे:

क. पूरी राशि का उपयोग तत्काल या स्थगित वार्षिकी खरीदने के लिए **उस समय की प्रचलित वार्षिकी दरों** पर निगम से किया जा सकता है। बीमित व्यक्ति के पास किसी अन्य बीमाकर्ता से प्रचलित वार्षिकी दर पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिशत की सीमा तक वार्षिकी खरीदने का विकल्प भी होगा, जो वर्तमान में कम्युटेइशन के बाद पॉलिसी की संपुर्ण आय का 50% है।

या

ख. 60% तक की राशि को समायोजित करना और शेष राशि का उपयोग निगम से उस समय के प्रचलित वार्षिकी दरों पर तत्काल या स्थगित वार्षिकी खरीदने के लिए करना। बीमित व्यक्ति के पास किसी अन्य बीमाकर्ता से प्रचलित वार्षिकी दर पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिशत की सीमा तक वार्षिकी खरीदने का विकल्प भी होगा, जो वर्तमान में कम्युटेइशन के बाद पॉलिसी की कुल आय का 50% है।

उपरोक्त पैरा 2.ख).ii.क. और ख. में उल्लिखित विकल्पों के अलावा, आपके पास निहितीकरण की तिथि को बढ़ाने का विकल्प भी होगा, जैसा कि पैरा 4.ख). में विस्तृत है।

वार्षिकी की खरीद उस समय उपलब्ध वार्षिकी उत्पाद(उत्पादों) के नियमों और शर्तों के अधीन होगी।

यदि पॉलिसी की आय समय–समय पर संशोधित आईआरडीएआई (इंश्योरेंस प्रोडक्ट) विनियम, 2024 की अनुसूची के विनियमन 5 (i) में परिभाषित न्यूनतम वार्षिकी खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो पॉलिसी की राशि नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी को एकमुश्त दी जा सकती है।

यदि पॉलिसीधारक किसी अन्य जीवन बीमा कंपनी से वार्षिकी खरीदने का विकल्प चुनता है, तो उसे निहितीकरण की तिथि से पहले निगम को अपना इरादा सूचित करना होगा।

3. निश्चित अभिवृद्धियां:

निश्चित अभिवृद्धियां केवल चालू पॉलिसी के तहत ही देय होगी अर्थात यदि सभी देय प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो। निश्चित अभिवृद्धियां को, वार्षिक प्रीमियम (नियमित प्रीमियम पॉलिसी में) या एकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है, छटे और दसवें वर्ष के अंत में और ग्यारवें वर्ष से **प्रत्येक पॉलिसी वर्ष** में पॉलिसी अवधि की समाप्ति तक यूनिट फंड में जोड़ा जाएगा, **बशर्ते सभी देय प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया हो और पॉलिसी चालू हो।**

पॉलिसी वर्ष का अंत	प्रति वर्ष गारंटीकृत अतिरिक्त (एक वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में)	प्रति वर्ष गारंटीकृत अतिरिक्त (सिंगल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में)
6 वें	5.00%	4.00%
10 वें	10.00%	5.00%
11वें से 15वें	4.00%	1.25%
16वें से 20वें	5.50%	1.50%
21वें से 25वें	7.00%	2.00%
26वें से 30वें	8.75%	2.50%
31वें से 35वें	10.75%	3.00%
36वें से 40वें	13.00%	3.75%
41वें से 42वें	15.50%	4.50%

सभी प्रकार के प्रीमियम भुगतान के लिए 'वार्षिक प्रीमियम' या 'वार्षिकीकृत प्रीमियम' की गणना किस्त (आवधिक) प्रीमियम राशि को एक पॉलिसी वर्ष में प्रीमियम भुगतान की आवृत्ति से गुणा करके की जाएगी।

आवंटित निश्चित अभिवृद्धियां को यूनिट्स में परिवर्तित किया जाएगा और निश्चित अभिवृद्धियां के भुगतान की देय तिथि पर चुने गए फंड प्रकार में जमा किया जाएगा। जिन पॉलिसियों की स्थिति चालू नहीं है, लेकिन बाद में पुनः प्रचालित की गईं हैं, उन पर स्थगन की तिथि से पुनः प्रचलन की तिथि तक की निश्चित अभिवृद्धियां पॉलिसी के पुनः प्रचलन की तिथि पर जमा की जाएगी।

नोट: यदि पॉलिसी 'कम भुगतान' स्थिति में है तो निश्चित अभिवृद्धियां देय नहीं होगा।

विशेष मामले जहां निश्चित अभिवृद्धियां को आनुपातिक/प्रोराटा आधार पर कम किया जाएगा:

i. चालू पॉलिसी के मामले में, जहां पैरा 4.क के अनुसार आपके द्वारा **आंशिक निकासी** का हितलाभ उठाया गया है, आंशिक निकासी की तिथि के बाद जोड़े जाने वाले गॉरन्टीड एडिशन्स को आनुपातिक/प्रोराटा रूप से कम कर दिया जाएगा। ऐसी पॉलिसियों में **भविष्य के प्रत्येक पॉलिसी वर्ष** में गॉरन्टीड एडिशन्स के संशोधित दर की गणना दिए गए फार्मूला का उपयोग करके की जाएगी:

$$\left\{ \frac{\text{(संबंधित वर्ष के लिए लागू गॉरन्टीड एडिशन्स का मूल दर) } \textbf{से गुणा} \text{ (वर्ष के अंत में फंड का मूल्य)}}{\text{(वर्ष के अंत में फंड का मूल्य) में (कुल आंशिक निकासी की राशि) } \textbf{का जोड़}} \right\}$$

ii. यदि आपने पैरा 4.ख) में निर्दिष्ट **निहितीकरण तिथि को बढ़ाने का विकल्प** चुना है, और **नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के तहत आगे प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है,** तो जुड़ने वाले गॉरन्टीड एडिशन्स को आनुपातिक/प्रोराटा आधार पर कम किया जाएगा, जैसा कि संशोधित पॉलिसी अवधि के अनुरूप चालू पॉलिसी के लिए लागू होता है। ऐसी पॉलिसियों में **भविष्य के प्रत्येक पॉलिसी वर्ष** में गॉरन्टीड एडिशन्स के संशोधित दर की गणना दिए गए फार्मूला का उपयोग करके की जाएगी:

$$\left\{ \frac{\text{(संबंधित वर्ष के लिए लागू गॉरन्टीड एडिशन्स का मूल दर) } \textbf{से गुणा} \text{ (पॉलिसी वर्षों की संख्या जिसके लिए प्रीमियम का भुगतान किया गया है)}}{\text{(गॉरन्टीड एडिशन्स के जुड़ने की तिथि के अनुसार पॉलिसी वर्षों की कुल संख्या)}} \right\}$$

हालाँकि, मृत्यु की तिथि के बाद जोड़े गए किसी भी गॉरन्टीड एडिशन्स को यूनिट फंड से वसूल किया जाएगा।

4. वैकल्पिक हितलाभ:

क) आंशिक निकासी:

आप 5 साल की लॉक-इन अवधि (यानी पॉलिसी शुरू होने की तिथि से 5 साल की अवधि) के बाद किसी भी समय निम्नलिखित शर्तों के तहत यूनिट्स को आंशिक रूप से निकाल सकते हैं:

i. इसकी अनुमति केवल निम्नलिखित निर्धारित कारणों पर ही दी जाती है:

- बच्चों की उच्च शिक्षा, जिसमें कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल हैं।
- बच्चों का विवाह, जिसमें कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल हैं।
- बीमित व्यक्ति के स्वयं के नाम पर या कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के साथ संयुक्त नाम पर आवासीय घर या फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए। हालाँकि, यदि बीमित व्यक्ति के पास पहले से ही एक आवासीय घर या फ्लैट (पैतृक संपत्ति के अलावा) है, तो किसी भी निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- स्वयं या पति/पत्नी या आश्रित बच्चों की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए, जिसमें कानूनी रूप से गोद लिया गया बच्चा भी शामिल है।

- बीमित व्यक्ति द्वारा झेली गई दिव्यांगता या अक्षमता से उत्पन्न चिकित्सा और आकस्मिक खर्च।
- बीमित द्वारा कौशल विकास/पुनः कौशल या अन्य आत्म–विकास गतिविधियों के लिए किए गए खर्च।
- बीमित द्वारा अपने उद्यम या किसी स्टार्ट–अप की स्थापना के लिए किए गए खर्च।
- समय–समय पर जारी आईआरडीएआई सर्कुलर/दिशानिर्देश/विनियमों के अनुसार कोई अन्य कारण।

ii. पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान केवल 3 बार तक ही इसकी अनुमति है।

iii. **प्रत्येक** आंशिक निकासी की अधिकतम मात्रा आंशिक निकासी के समय यूनिट फंड मूल्य के निम्नलिखित प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के लिए:

वार्षिक प्रीमियम	**यूनिट फंड मूल्य का %**
रु. 50,000/– से कम	10%
रु. 50,000/– और उससे अधिक लेकिन रु. 1,00,000/– से कम।	15%
रु. 1,00,000 और उससे अधिक	25%

एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए:

एकल प्रीमियम	**यूनिट फंड मूल्य का %**
रु. 2,00,000/– से कम	10%
रु. 2,00,000/– और उससे अधिक लेकिन रु. 5,00,000/– से कम।	15%
रु. 5,00,000 और उससे अधिक	25%

iv. कोई भी आंशिक निकासी, जो नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के मामले में यूनिट फंड वैल्यू को वार्षिक प्रीमियम से कम या एकल प्रीमियम पॉलिसियों के मामले में 30% एकल प्रीमियम से कम कर देगी, उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस शर्त को यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है कि आंशिक निकासी से पॉलिसी समाप्त न हो।

v. पैरा 9.झ) में निर्दिष्ट अनुसार आंशिक निकासी शुल्क यूनिट फंड मूल्य से काटा जाएगा।

vi. आंशिक निकासी की तिथि के बाद जुड़ने वाले गॉरन्टीड एडिशन्स को पैरा 3 में निर्दिष्ट आनुपातिक आधार पर कम किया जाएगा।

आंशिक निकासी की तिथि से 2 वर्षों के भीतर मृत्यु के मामले में, सुनिश्चित मृत्यु हितलाभ जो मृत्यु की तिथि तक प्राप्त कुल प्रीमियम का 105% है, उसमें से

बीमित की मृत्यु से तुरंत पहले दो साल की अवधि के दौरान की गई आंशिक निकासी की राशि घटा दी जाएगी।

ख) निहितीकरण की तिथि को बढ़ाने के विकल्प:

आपके पास उसी पॉलिसी के भीतर, मूल पॉलिसी के समान नियमों और शर्तों के साथ, संचयन अवधि या स्थगन अवधि (अर्थात पॉलिसी अवधि) को बढ़ाने का विकल्प भी होगा, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

- इस विकल्प का प्रयोग करते समय आपकी आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- संचयन या स्थगन अवधि का विस्तार योजना के तहत अधिकतम निहितीकरण आयु तक होगा।
- किसी भी स्थिति में मूल पॉलिसी अवधि और विस्तारित पॉलिसी अवधि का योग 42 वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- संचयन या स्थगन अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध मूल निहितीकरण तिथि से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आप निहितीकरण की तिथि को या तो आगे के प्रीमियम का भुगतान करके या आगे के प्रीमियम का भुगतान किए बिना, बढ़ाने का विकल्प चुन सकते हैं। एक बार जब आप इस विकल्प का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं और निगम को इसकी सूचना देते हैं, तो चालू पॉलिसी के मामले में लागू शुल्कों को घटाकर पॉलिसी जारी रहेगी। हालांकि, गॉरन्टीड एडिशन्स निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाएगा:

i. **एकल प्रीमियम पॉलिसियों और नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के तहत बढ़ाई गई निहितीकरण की तिथि (आगे प्रीमियम के भुगतान के साथ):**

   इस स्थिति में, गॉरन्टीड एडिशन्स की लागू दर वही रहेगी जो संशोधित पॉलिसी अवधि के लिए चालू पॉलिसी पर लागू होती है।

ii. **नियमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसियों के तहत आगे के प्रीमियम का भुगतान किए बिना निहितीकरण की तिथि विस्तारित:**

   इस स्थिति में, निश्चित अभिवृद्धियां की लागू दर को पैरा 3 में निर्दिष्ट अनुसार आनुपातिक/प्रोराटा आधार पर कम किया जाएगा।

इस दस्तावेज़ में जहां भी निहितीकरण की तिथि का उल्लेख किया गया है, उसमें यदि लागू हो तो उसमें निहितीकरण की विस्तारित तिथि भी शामिल है।

यदि पॉलिसीधारक निहितीकरण की तिथि बढ़ाने का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें निहितीकरण की तिथि से कम से कम तीन महीने पहले निगम को अपना इरादा सूचित करना होगा।

ग) स्विचिंग:

आपके पास पॉलिसी अवधि के दौरान पैरा 6 में निर्दिष्ट चार फंडों में से किसी एक के बीच स्विच का विकल्प है। स्विच करने पर, पूरी राशि नए चुने गए फंड में स्थानांतरित हो जाती है। किसी दिए गए पॉलिसी वर्ष के दौरान, चार बार निःशुल्क बदलने के अवसर दिए जाएंगे। इसके आगे प्रत्येक स्विच के लिए पैरा 9.च) में निर्दिष्ट अनुसार प्रति स्विच 100 रुपये का स्विचिंग शुल्क लागू होगा।

घ) **निपटान विकल्पः**

निपटान विकल्प मृत्यु हितलाभ को किस्तों में प्राप्त करने का एक विकल्प है। यह विकल्प नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी द्वारा निहितीकरण की तिथि से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर चुना जा सकता है, यदि नामांकित व्यक्ति/लाभार्थी ने पैरा 2.क).ii.क में उल्लिखित अनुसार संपूर्ण धनराशि निकालने का विकल्प चुना हो। नामांकित व्यक्ति/लाभार्थी को भुगतान का तरीका (अर्थात वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक किश्तों में) निर्दिष्ट करना होगा, जो बीमित व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिलने की तिथि से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि में किया जाएगा। इसके बाद मृत्यु दावा/क्लेम राशि नामित/लाभार्थी को चुने गए भुगतान तरीके के अनुसार दी जाएगी।

ऐसी पॉलिसी के तहत यूनिट फंड का निवेश उसी फंड प्रकार के अनुसार निवेशित रहेगा जैसा कि मृत्यु की सूचना मिलने की तिथि पर था।

प्रत्येक किस्त (यूनिट की संख्या में) मृत्यु की सूचना की तिथि पर कुल यूनिटों की संख्या को कुल किस्तों की संख्या (5 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, त्रैमासिक और मासिक किश्तों के लिए क्रमशः 5, 10, 20 और 60) से विभाजित करके निकाली जाएगी। प्रत्येक किश्त के लिए प्राप्त यूनिटों की संख्या को किस्त भुगतान की तिथि पर लागू फंड प्रकार के एनएवी से गुणा किया जाएगा ताकि प्रत्येक किस्त में दी जाने वाली राशि निकली जा सके। किस्त का भुगतान यूनिट फंड से यूनिट्स को मुक्त करके किया जाएगा। पहला भुगतान मृत्यु की सूचना की तिथि के अनुसार किया जाएगा और उसके बाद नामांकित व्यक्ति/लाभार्थी द्वारा चुने गए तरीके के आधार पर किया जाएगा, यानी मृत्यु की सूचना की तिथि से हर महीने या तीन महीने या छह महीने या वार्षिक, जैसी स्थिति हो।

निपटान विकल्प अवधि के दौरान, फंड प्रबंधन शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं काटा जाएगा। निर्दिष्ट तिथि पर देय किश्त का मूल्य निवेश जोखिम के अधीन होगा यानी फंड के प्रदर्शन के आधार पर एनएवी ऊपर या नीचे जा सकता है। निपटान अवधि के दौरान निवेश जोखिम नामांकित/लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा। निपटान अवधि के दौरान कोई जोखिम कवर या गारंटीकृत हितलाभ नहीं होगा।

निपटान विकल्प अवधि शुरू होने के बाद नामांकित/लाभार्थी की मृत्यु होने पर, यूनिट फंड में शेष यूनिटों का मूल्य कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त राशि के रूप में देय होगा।

निपटान विकल्प की अवधि के दौरान नामांकित/लाभार्थी द्वारा फंड की आंशिक निकासी या स्विचिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हालाँकि, नामांकित/लाभार्थी के पास निपटान अवधि के दौरान किसी भी समय यूनिट फंड का मूल्य वापस लेने का विकल्प होगा। ऐसी स्थिति में, यूनिट फंड के मूल्य की गणना पॉलिसी में शेष यूनिटों की कुल संख्या को पूर्ण निकासी की तिथि पर यूनिट के मूल्य से गुणा करके की जाएगी।

5. पात्रता की शर्ते और अन्य प्रतिबंध:

i) **न्यूनतम/अधिकतम मूल बीमा राशि:** लागू नहीं

ii) **न्यूनतम प्रीमियम:**

प्रकार/प्रीमियम भुगतान आवृत्ति	एकल प्रीमियम (रु.)	नियमित प्रीमियम (रु.)
वार्षिक	1,00,000	30,000
अर्धवार्षिक		16,000
त्रैमासिक		9,000
मासिक (एनएसीएच)		3,000

iii) **अधिकतम प्रीमियम:** कोई सीमा नहीं

हालाँकि, प्रत्येक व्यक्ति को अनुमत अधिकतम प्रीमियम निगम की अंडरराइटिंग पॉलिसी के अनुसार वित्तीय अंडरराइटिंग के अधीन होगा।

सभी मोड मासिक (एनएसीएच) के अलावा के लिए नियमित प्रीमियम 1,000/– के गुणकों में देय होगा। मासिक (एनएसीएच) के लिए, प्रीमियम 250/– के गुणकों में देय होगा। एकल प्रीमियम 10,000/– के गुणकों में देय होगा।

iv) **न्यूनतम प्रवेश आयु** : [25] वर्ष (निकटतम जन्मदिवस)

v) **अधिकतम प्रवेश आयु** : [75] वर्ष (निकटतम जन्मदिवस)

vi) **प्रीमियम भुगतान अवधि:**

क्र.सं.	प्रीमियम भुगतान आवृत्ति	प्रीमियम भुगतान अवधि
1.	एकल प्रीमियम	एकल प्रीमियम
2.	नियमित प्रीमियम (वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक)	पॉलिसी अवधि के समान

vii) **न्यूनतम/अधिकतम पॉलिसी अवधि:**

प्रीमियम भुगतान आवृत्ति	न्यूनतम (वर्ष)	अधिकतम (वर्ष)
एकल/नियमित प्रीमियम	10	42

न्यूनतम/अधिकतम पॉलिसी अवधि न्यूनतम/अधिकतम निहितीकरण आयु के अधीन होगी, जैसा कि नीचे दिए गए पैरा 5.viii) और 5.ix) में निर्दिष्ट है।

viii) **न्यूनतम निहितीकरण आयु** : [35] वर्ष (निकटतम जन्मदिवस)

ix) **अधिकतम निहितीकरण आयु** : [85] वर्ष (निकटतम जन्मदिवस)

6. फंड्स का निवेश:

यूनिट फंड: आपके पास शुरूवात में और स्विचिंग के समय अपने प्रीमियम का निवेश करने के लिए निम्नलिखित 4 फंड्स में से किसी **एक** को चुनने का विकल्प होगा। आवंटित प्रीमियम का चुने गए फंड प्रकार के अनुसार यूनिट्स खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा। उपलब्ध फंड्स और उनकी सामान्य निवेश योजना का विवरण इस प्रकार है:

फंड प्रकार	सरकारी/ सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूतियों/ कॉर्पोरेट ऋण में निवेश	मुद्रा बाजार उपकरणों जैसे अल्पकालिक निवेश	सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश	उद्देश्य	जोखिम का स्वरुप	एसएफआईएन
पेंशन बॉन्ड फंड	60% से 100%	0% से 40%	कुछ नहीं	मुख्य रूप से निश्चित आय प्रतिभूतियों में निवेश के माध्यम से अपेक्षाकृत सुरक्षित और कम उतार-चढ़ाव वाला निवेश विकल्प प्रदान करना।	कम जोखिम	ULIF001 01/02/22 LICPENFBND 512
पेंशन सिक्योर्ड फंड	50% से 90%	0% से 40%	10% से 50%	इक्विटी और निश्चित आय प्रतिभूतियों दोनों में निवेश के माध्यम से स्थिर आय प्रदान करना।	निम्न से मध्यम जोखिम	ULIF002 01/02/22 LICPENFSEC 512
पेंशन बैलेंस्ड फंड	30% से 70%	0% से 40%	30% से 70%	इक्विटी और निश्चित आय प्रतिभूतियों दोनों में समान अनुपात में निवेश के माध्यम से संतुलित आय और वृद्धि प्रदान करना।	मध्यम जोखिम	ULIF003 01/02/22 LICPENFBAL 512
पेंशन ग्रोथ फंड	0% से 60%	0% से 40%	40% से 100%	मुख्य रूप से इक्विटी में निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि प्रदान करना।	अधिक जोखिम	ULIF004 01/02/22 LICPENFGRW 512

पेंशन डिस्कंटिन्यूड फंड (SFIN:ULIF00501/02/22LICDPFPENS512): यह फंड एक अलग यूनिट फंड होगा और इसमें यूनिट लिंक्ड पेंशन उत्पादों के तहत दी जाने वाली सभी पॉलिसियों के सभी डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड शामिल होंगे।

पेंशन डिस्कंटिन्यूड फंड की निवेश संरचना में निम्नलिखित परिसंपत्ति मिश्रण होगा:

परिसंपत्ति प्रकार	सीमा (% में)
अल्पकालिक निवेश जैसे **मुद्रा बाज़ार उपकरण**	0% से 80%
सरकारी/सरकार द्वारा **गारंटीकृत प्रतिभूतियों** में निवेश	20% से 100%

यदि निम्नलिखित में से कोई भी फंड, जो इस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, **आईआरडीएआई/IRDAI (बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के अनुबंध आईएनवी-I के विनियम 8 के अनुपालन में नहीं आते हैं तो मास्टर सर्कुलर - इसके तहत जारी किए गए निवेश,** पॉलिसीधारक को नीचे दिए गए फंड्स में एक मुफ्त स्विच दिया जाएगा।

i) **फंड का नाम: पेंशन बॉन्ड फंड, एसएफआईएन नंबर: ULIF00101/02/22LICPENFBND512 (कम जोखिम)**

निम्नलिखित फंड्स में से किसी एक में निःशुल्क स्विच की अनुमति दी जाएगी:

फंड का नाम	एसएफआईएन	जोखिम का स्वरुप
पेंशन सुरक्षित फंड	ULIF00201/02/22LICPENFSEC512	कम से मध्यम जोखिम
पेंशन संतुलित फंड	ULIF00301/02/22LICPENFBAL512	मध्यम जोखिम

ii) **फंड का नाम: पेंशन सुरक्षित फंड, एसएफआईएन नंबर: ULIF00201/02/22LICPENFSEC512 (निम्न से मध्यम जोखिम)**

निम्नलिखित फंड्स में से किसी एक में निःशुल्क स्विच की अनुमति दी जाएगी:

फंड का नाम	एसएफआईएन	जोखिम का स्वरुप
पेंशन बॉन्ड फंड	ULIF00101/02/22LICPENFBND512	कम जोखिम
पेंशन संतुलित फंड	ULIF00301/02/22LICPENFBAL512	मध्यम जोखिम

iii) **फंड का नाम: पेंशन बैलेंस्ड फंड, एसएफआईएन नंबर: ULIF00301/02/22LICPENFBAL512 (मध्यम जोखिम)**

निम्नलिखित फंड्स में से किसी एक में निःशुल्क स्विच की अनुमति दी जाएगी:

फंड का नाम	एसएफआईएन	जोखिम का स्वरुप
पेंशन सुरक्षित फंड	ULIF00201/02/22LICPENFSEC512	कम से मध्यम जोखिम
पेंशन वृद्धि फंड	ULIF00401/02/22LICPENFGRW512	अधिक जोखिम

iv) **फंड का नाम: पेंशन वृद्धि फंड, एसएफआईएन नंबर: ULIF00401/02/22LICPENFGRW512, (भारी जोखिम)**

निम्नलिखित फंड्स में से किसी एक में निःशुल्क स्विच की अनुमति दी जाएगी:

फंड का नाम	एसएफआईएन	जोखिम का स्वरुप
पेंशन सुरक्षित फंड	ULIF00201/02/22LICPENFSEC512	कम से मध्यम जोखिम
पेंशन संतुलित फंड	ULIF00301/02/22LICPENFBAL512	मध्यम जोखिम

फंड का समापन:

हालाँकि फंड ओपन एंडेड हैं, हम उचित अनुमोदन के साथ किसी भी मौजूदा फंड को बंद कर सकते हैं। आपको फंड बंद होने से कम से कम 3 महीने पहले

सूचित किया जाएगा। आप इन 3 महीनों के दौरान बिना किसी शुल्क के अन्य मौजूदा फंड विकल्पों पर स्विच कर सकते हैं। यदि आप इस अवधि के दौरान स्विच नहीं करते हैं, तो निगम स्विच की तिथि पर उपलब्ध एनएवी के आधार पर समान परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम स्वरुप वाले किसी अन्य फंड में यूनिट्स को स्विच कर देगा।

7. इकाई मूल्य/यूनिट प्राइस की गणना की विधि:

आवंटन की तिथि पर संबंधित फंड के नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) के आधार पर यूनिट्स का आवंटन किया जाएगा। कोई बिड ऑफर स्प्रेड नहीं है (इकाइयों की बोली कीमत और प्रस्ताव कीमत दोनों एनएवी के बराबर होंगे)। एनएवी की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी और यह प्रत्येक प्रकार के फंड के निवेश प्रदर्शन और फंड प्रबंधन शुल्क पर आधारित होगी और इसकी गणना इस प्रकार की जाएगी:

$$\left\{ \frac{\text{[फंड द्वारा रखे गए निवेश की मार्केट वैल्यू + वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्य – वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों का मूल्य, यदि कोई हो]}}{\text{मूल्यांकन तिथि पर मौजूदा यूनिट्स की संख्या (यूनिट्स के निर्माण/मोचन से पहले)}} \right\}$$

जहां, मूल्यांकन तिथि एनएवी की गणना की तिथि है।

8. नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) की प्रयोज्यता:

i. विभिन्न लेन–देन के लिए यूनिट्स का आवंटन और मोचन नीचे वर्णित एनएवी के आधार पर होगा:

लेन–देन का प्रकार	**लागू एनएवी (जहां लेनदेन कट–ऑफ समय से पहले प्राप्त होता है)**
पहला प्रीमियम प्राप्त: • ऑफ़लाइन बिक्री के मामले में: स्थानीय चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जहां प्रीमियम प्राप्त होता है, उस स्थान पर बराबर मूल्य में देय होगा। • ऑनलाइन बिक्री के मामले में: किसी भी डिजिटल भुगतान प्रणाली द्वारा।	जोखिम की अंडरराइटिंग स्वीकृति की तारीख का एनएवी यानी पॉलिसी शुरू होने की तारीख।
एनएसीएच या किसी डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से प्राप्त नवीनीकरण प्रीमियम।	हमारे निर्देश प्राप्ति की तिथि या लेनदेन के निष्पादन की तिथि या प्रीमियम की देय तिथि, जो भी बाद में हो, का एनएवी।
नवीनीकरण प्रीमियम स्थानीय चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त होता है जो प्रीमियम प्राप्त होने के स्थान पर बराबर मूल्य पर देय होता है।	हमारे उपकरण प्राप्ति की तिथि या प्रीमियम की देय तिथि, जो भी बाद में हो, का एनएवी।

आंशिक निकासी, उपलब्ध फंड प्रकारों के बीच स्विचिंग, या फ्री–लुक रद्दीकरण।	हमारे द्वारा अनुरोध की ऑनलाइन या लिखित प्राप्ति की तिथि का एनएवी।
समर्पण	हमारे द्वारा लिखित रूप में अभ्यर्पण अनुरोध की प्राप्ति की तिथि का एनएवी।
मृत्यु का दावा	मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ लिखित में मृत्यु की सूचना प्राप्त होने की तिथि का एनएवी।
गारंटीकृत परिवर्धन	आवंटन की तिथि का एनएवी
पुनः प्रचलन	पुनः प्रचलन की तिथि के अनुसार एनएवी, जहां पुनः प्रचलन की तिथि वह तिथि होती है, जब सभी देय प्रीमियमों का समायोजन अंडरराइटिंग स्वीकृति प्राप्त होने के बाद किया जाता है।
निपटान विकल्प	निपटान विकल्प के तहत किस्त भुगतान की तारीख का एनएवी।
निहितीकरण हितलाभ	निहितीकरण की तिथि का एनएवी।
स्थगन	स्थगन की तिथि का एनएवी।
समाप्ति	समाप्ति की तिथि का एनएवी।
पॉलिसी परिवर्तन	पॉलिसी में परिवर्तन की तिथि का एनएवी।

ii. वर्तमान में, आईआरडीएआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कट–ऑफ समय 3:00 बजे है, और इस संबंध में होने वाले बदलाव आईआरडीएआई के निर्देशों के अनुसार होंगे। नए व्यवसाय के मामले में एनएवी निर्धारित करने के लिए दोपहर 3 बजे का कट–ऑफ समय, जोखिम स्वीकार करने की तिथि यानी पॉलिसी शुरू होने की तिथि के संदर्भ में होगा।

iii. यदि लेनदेन अनुरोध निम्नलिखित के संबंध में कट–ऑफ समय से पहले प्राप्त होता है:

ए) प्रीमियम भुगतान, निगम के किसी भी शाखा कार्यालय या प्रीमियम संग्रह के लिए अन्य अधिकृत कार्यालय में या किसी डिजिटल भुगतान मोड या एनएसीएच के माध्यम से;

बी) निगम की सेवा शाखा द्वारा अन्य लेनदेन;

सी) एलआईसी के ग्राहक पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने पर सेवा अनुरोधों का सफल पंजीकरण।

उस दिन का समापन एनएवी लागू होगा।

iv. यदि लेनदेन अनुरोध निम्नलिखित के संबंध में कट–ऑफ समय के बाद प्राप्त होता है:

ए) प्रीमियम भुगतान, निगम के किसी भी शाखा कार्यालय या प्रीमियम संग्रह के लिए अन्य अधिकृत कार्यालय में या किसी डिजिटल भुगतान मोड या एनएसीएच के माध्यम से;

बी) निगम की सेवा शाखा द्वारा अन्य लेनदेन;

सी) एलआईसी के ग्राहक पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने पर सेवा अनुरोधों का सफल पंजीकरण।

अगले कार्य दिवस का समापन एनएवी लागू होगा।

ऑफ़लाइन बिक्री के मामले में, केवल स्थानीय/सीटीएस/स्पीड क्लियरिंग हाउस में भाग लेने वाले बैंक पर निर्गत सीटीएस 2010 चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम स्वीकार किया जाएगा। उपरोक्त श्रेणी में न आने वाले चेक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

9. योजना के तहत शुल्क:

शुल्कों का विवरण इस प्रकार है। ये शुल्क जीएसटी के अधीन हैं जैसा कि पैरा 9.i में उल्लिखित है)। नीचे:

क) प्रीमियम आवंटन शुल्क: यह प्राप्त प्रीमियम से शुल्क के लिए विनियोजित प्रीमियम का प्रतिशत है। शेष हिस्सा, जिसे आवंटन दर कहा जाता है, प्रीमियम का वह भाग होता है जिसका उपयोग पॉलिसी में चयनित फंड की यूनिट्स को खरीदने के लिए किया जाता है।

प्रीमियम आवंटन शुल्क इस प्रकार हैं:

नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के लिए:

	ऑफ़लाइन		**ऑनलाइन**
वर्ष	**वार्षिक प्रीमियम (एपी) रुपये से कम 50,000/-**	**वार्षिक प्रीमियम (एपी) रु 50,000/- से अधिक या उसके बराबर।**	
	किश्त प्रीमियम के % के रूप में	**किश्त प्रीमियम के % के रूप में**	**किश्त प्रीमियम के % के रूप में**
1	7.00%	7.00%	2.50%
2 से 5 तक	4.50%	4.00%	1.50%
6ठे से आगे	3.50%	3.00%	1.00%

किस्त प्रीमियम पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई प्रीमियम भुगतान आवृत्ति के अनुसार भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम है।

एकल प्रीमियम (एसपी) पॉलिसियों के लिए:

वर्ष	**ऑफ़लाइन**	**ऑनलाइन**
	एसपी के % के रूप में	**एसपी के % के रूप में**
1	3.30%	1.50%
2 और आगे	शून्य	शून्य

प्रीमियम आवंटन शुल्क की सीमा नीचे भाग 9.ज्ञ) के अनुसार होगी।

ख) **मृत्यु शुल्क:** शून्य

ग) **पॉलिसी प्रशासन शुल्क:** यह शुल्क प्रत्येक पॉलिसी महीने की शुरुआत में यूनिट फंड से यूनिट्स रद्द करके समकक्ष राशि के लिए लगाया जाएगा। यह शुल्क केवल पहले 5 वर्षों में काटा जाएगा और पॉलिसी से काटी जाने वाली अधिकतम राशि की सीमा के साथ किस्त प्रीमियम पर आधारित होगा:

नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के लिए:

पॉलिसी के दौरान	**पॉलिसी प्रशासन शुल्क प्रति माह (रु.)**
प्रथम पॉलिसी वर्ष	न्यूनतम (0.190%* किश्त प्रीमियम*) या **57**
द्वितीय पॉलिसी वर्ष	न्यूनतम (0.184%* किश्त प्रीमियम*) या **55**
तृतीय पॉलिसी वर्ष	न्यूनतम (0.177%* किश्त प्रीमियम*) या **53**
चतुर्थ पॉलिसी वर्ष	न्यूनतम (0.170%* किश्त प्रीमियम*) या **51**
पांचवां पॉलिसी वर्ष	न्यूनतम (0.164%* किश्त प्रीमियम*) या **49**
छठा पॉलिसी वर्ष और उसके आगे	शून्य

k का मूल्य इस प्रकार है:

प्रीमियम भुगतान प्रणाली	**k का मूल्य**
वार्षिक	1.00
अर्धवार्षिक	1.44
त्रैमासिक	2.35
मासिक	5.95

एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए:

पॉलिसी के दौरान	**पॉलिसी प्रशासन शुल्क प्रति माह (रु.)**
प्रथम पॉलिसी वर्ष	80
द्वितीय पॉलिसी वर्ष	76
तृतीय पॉलिसी वर्ष	73
चतुर्थ पॉलिसी वर्ष	70
पांचवां पॉलिसी वर्ष	67
छठा पॉलिसी वर्ष और उसके आगे	शून्य

पॉलिसी प्रशासन शुल्क की कुल सीमा नीचे भाग 9.k के अनुसार होगी।

घ) **फंड प्रबंधन शुल्क:** यह संपत्ति के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाने वाला शुल्क है और एनएवी को समायोजित करके विनियोजित किया जाएगा। फंड प्रबंधन (एफएमसी) शुल्क इस प्रकार होगा:

- सक्रिय पॉलिसी के तहत उपलब्ध सभी चार फंडों के लिए (पेंशन बॉन्ड फंड, पेंशन सिक्योर्ड फंड, पेंशन बैलेंस्ड फंड, और पेंशन ग्रोथ फंड) यूनिट फंड का 1.35% प्रति वर्ष।
- पेंशन डिस्कंटिन्यूड फंड के लिए यूनिट फंड का 0.50% प्रति वर्ष।

यह एनएवी की गणना के समय लगाया जाने वाला शुल्क है, जो प्रतिदिन किया जाएगा। इस प्रकार घोषित एनएवी एफएमसी के बराबर होगी।

च) **स्विचिंग चार्ज:** यह एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करने पर लगाया जाने वाला शुल्क है और यूनिट फंड वैल्यू में से उचित संख्या में यूनिट्स को रद्द करके स्विच निष्पादित करते समय लगाया जाएगा।एक पॉलिसी वर्ष में 4 स्विच निःशुल्क किए जा सकते हैं। इसके बाद स्विच करने पर, यदि हो तो, प्रत्येक स्विच के लिए रु.100 का स्विचिंग शुल्क लगाया जाएगा।

छ) **बिड/ऑफर स्प्रेड:** शून्य।

ज) **स्थगन शुल्क:** पॉलिसी की स्थगन की तिथि पर यूनिट फंड मूल्य में से उचित संख्या में यूनिट्स को रद्द करके स्थगन शुल्क काटा जाएगा और यह इस प्रकार होगा:

नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के लिए:

जहां पॉलिसी वर्ष के दौरान पॉलिसी स्थगित कर दी जाती है	रु. 50,000 तक वार्षिक प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए स्थगन शुल्क	रु. 50,000 से अधिक वार्षिक प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए स्थगन शुल्क
1	20%* (एपी या एफवी) में से जो भी कम हो, अधिकतम रु. 3000/-	6%* (एपी या एफवी) में से जो भी कम हो, अधिकतम रु. 6000/-
2	15%* (एपी या एफवी) में से जो भी कम हो, अधिकतम रु. 2000/-	4%* (एपी या एफवी) में से जो भी कम हो, अधिकतम रु. 5000/-
3	10%* (एपी या एफवी) में से जो भी कम हो, अधिकतम रु. 1500/-	3%* (एपी या एफवी) में से जो भी कम हो, अधिकतम रु. 4000/-
4	5%* (एपी या एफवी) में से जो भी कम हो, अधिकतम रु.1000/-	2%* (एपी या एफवी) में से जो भी कम हो, अधिकतम रु. 2000/-
5 और आगे	शून्य	शून्य

एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए:

जहां पॉलिसी वर्ष के दौरान पॉलिसी स्थगित कर दी जाती है	रु. 3,00,000 तक के एकल प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए स्थगन शुल्क	रु. 3,00,000 से अधिक वार्षिक प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए स्थगन शुल्क
1	2%* (एसपी या एफवी) में से जो भी कम हो, अधिकतम रु. 3000/-	1%* (एसपी या एफवी) में से जो भी कम हो, अधिकतम रु. 6000/-

2	1.50%* (एसपी या एफवी) में से जो भी कम हो, अधिकतम रु. 2000/-	0.70%* (एसपी या एफवी) में से जो भी कम हो, अधिकतम रु. 5000/-
3	1%* (एसपी या एफवी) में से जो भी कम हो, अधिकतम रु. 1500/-	0.50%* (एसपी या एफवी) में से जो भी कम हो, अधिकतम रु. 4000/-
4	0.50%* (एसपी या एफवी) में से जो भी कम हो, अधिकतम रु. 1000/-	0.35%* (एसपी या एफवी) में से जो भी कम हो, अधिकतम रु. 2000/-
5 और आगे	शून्य	शून्य

जहाँ,

एपी – वार्षिक प्रीमियम

एसपी – एकल प्रीमियम

एफवी – पॉलिसी स्थगित होने की तिथि पर यूनिट फंड मूल्य।

झ) **आंशिक निकासी शुल्क:** यह शुल्क फंड की प्रत्येक आंशिक निकासी के समय यूनिट फंड वैल्यू पर लगाया जाता है और यह एक निश्चित राशि रु. 100/- होगी, जिसे यूनिट फंड वैल्यू से उपयुक्त संख्या में इकाइयाँ रद्द करके काटा जाएगा, और यह कटौती उस तिथि को की जाएगी जब आंशिक निकासी होती है।

i) **कर शुल्क:** कर शुल्क, यदि कोई हो, तो भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी प्रचलित कर कानूनों/अधिसूचना आदि के अनुसार लागू कर की दर पर इस योजना पर लागू सभी या किसी भी शुल्क पर लगाया जाएगा, और यह पॉलिसीधारक को सूचित किए बिना लागू किया जाएगा।

ट) **विविध शुल्क:** यह पॉलिसी के दौरान किसी बदलाव के लिए लगाया जाने वाला शुल्क है, जैसे कि पॉलिसी जारी होने के बाद नियमित प्रीमियम पॉलिसी के तहत प्रीमियम मोड में बदलाव, और यह एक निश्चित राशि रु. 100/- होगी, जिसे यूनिट फंड वैल्यू से उपयुक्त संख्या में यूनिट्स रद्द करके काटा जाएगा, और यह कटौती पॉलिसी में परिवर्तन की तिथि पर की जाएगी।

निगम के पास पॉलिसी में परिवर्तन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। यह बदलाव पॉलिसी की वर्षगाँठ से संयोगवश या बदलाव के बाद तभी प्रभावी होगा जब इसे निगम द्वारा अनुमोदित और स्वीकार कर लिया जाएगा।

ठ) **शुल्क संशोधित करने का अधिकार:** निगम को उपरोक्त सभी या किसी भी शुल्क को संशोधित करने का अधिकार है। शुल्कों में संशोधन उचित अनुमोदन के साथ संभावित प्रभाव से किया जाएगा और पॉलिसीधारकों को 3 महीने का नोटिस देने के बाद हमारी वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

हालाँकि शुल्क की समीक्षा की जा सकती है, ये आईआरडीएआई द्वारा समय–समय पर घोषित अधिकतम शुल्क के अधीन होंगे। शुल्कों की वर्तमान सीमा इस प्रकार है:

- किसी भी वर्ष में प्रीमियम आवंटन शुल्क वार्षिक प्रीमियम का 12.50% से अधिक नहीं होगा।
- पॉलिसी प्रशासन शुल्क रु. 500 प्रति माह से अधिक नहीं होगा।
- फंड प्रबंधन शुल्क आईआरडीएआई द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगा जो वर्तमान में पैरा 9.घ में निर्दिष्ट के समान है)।
- आंशिक निकासी शुल्क प्रत्येक निकासी पर रु. 500/– से अधिक नहीं होगा।
- स्विचिंग शुल्क प्रति स्विच रु. 500/– से अधिक नहीं होगा।
- स्थगन शुल्क आईआरडीएआई द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगा, जो वर्तमान में पैरा 9.ज में निर्दिष्ट के समान है)।
- विविध शुल्क प्रत्येक परिवर्तन के अनुरोध पर रु. 500/– से अधिक नहीं होगा।

यदि आप शुल्कों के संशोधन से सहमत नहीं हैं, तो आपके पास यूनिट फंड मूल्य वापस लेने का विकल्प होगा। यदि इस तरह का शुल्क संशोधन 5 साल की लॉक–इन अवधि के दौरान किया जाता है, तो निकासी की अनुमति 5 वर्ष की लॉक–इन–अवधि की स्थगन के बाद ही दी जाएगी।

बीमित व्यक्ति उपरोक्त निकासी से प्राप्त राशि का उपयोग पैरा 2.ख.ii. में उल्लिखित विकल्पों में से एक को चुनकर करेगा।

10. क्यूआरओपीएस (क्वालिफाइंग रिकग्नाइज़्ड ओवरसीज़ पेंशन स्कीम) के रूप में खरीदी गई योजना:

यह योजना क्यूआरओपीएस के रूप में खरीदी जा सकती है, जो एचएमआरसी (हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स) द्वारा निर्धारित सूचीकरण और नियमों और शर्तों के अनुसार यूके कर मुक्त संपत्तियों के हस्तांतरण के माध्यम से होगी, जैसे:

i. न्यूनतम निहितीकरण आयु 55 वर्ष होगी।

ii. यदि पॉलिसी फ्री लुक अवधि के दौरान रद्द की जाती है, तो रद्दीकरण से प्राप्त धनराशि केवल उस फंड हाउस को वापस स्थानांतरित की जाएगी जहां से पैसा प्राप्त हुआ था।

iii. पैरा 5 में निर्दिष्ट योजना की पात्रता शर्तों और प्रतिबंधों के अलावा, एचएमआरसी के अन्य सभी नियम और शर्तें भी समय–समय पर लागू होंगी।

11. अभ्यर्पण:

पॉलिसी का पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय अभ्यर्पण किया जा सकता है और अभ्यर्पण मूल्य, यदि कोई हो, तो निम्नानुसार देय होगा:

क. यदि पॉलिसी का 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के दौरान अभ्यर्पण किया जाता है:

यदि आप 5 साल की लॉक–इन–अवधि के दौरान पॉलिसी के अभ्यर्पण के लिए आवेदन करते हैं, तो यूनिट फंड मूल्य, लागू स्थगन शुल्क में कटौती के बाद,

पैरा 13.क में निर्दिष्ट अनुसार डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

पॉलिसी लॉक–इन अवधि के अंत तक डिस्कंटिन्यूअन्स पॉलिसी फंड में निवेशित रहेगी। इस फंड से केवल फंड मैनेजमेंट चार्ज (एफएमसी) जैसा कि पैरा 9.घ) में निर्दिष्ट है, काटा जाएगा और इस अवधि के दौरान ऐसी पॉलिसी पर कोई जोखिम कवर उपलब्ध नहीं होगा।

अनुच्छेद 13.ख में निर्दिष्ट लॉक–इन अवधि की समाप्ति की तिथि पर पॉलिसी के संबंध में डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड की आय का उपयोग अनुच्छेद 2.ख में उल्लेखित वार्षिकीकरण प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

हालाँकि, अभ्यर्पण की तिथि के बाद लेकिन 5 साल की लॉक–इन–अवधि की समाप्ति से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, पॉलिसी के संबंध में डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड की प्राप्त राशि **तत्काल** नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी को देय होगी । नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी पैरा 2.क.ii में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार पॉलिसी की प्राप्त राशि का उपयोग उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन करेगा।

ख. यदि पॉलिसी का 5 वर्ष की लॉक–इन–अवधि के बाद अभ्यर्पण किया जाता है:

यदि आप 5 साल की लॉक–इन–अवधि के बाद पॉलिसी के अभ्यर्पण के लिए आवेदन करते हैं, तो **अभ्यर्पण की सूचना की तिथि** पर यूनिट फंड मूल्य का उपयोग अभ्यर्पण पर पैरा 2.ख)ii में उल्लिखित वार्षिकीकरण प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। पॉलिसी के तहत कोई स्थगन शुल्क नहीं होगा।

इसके अलावा, अभ्यर्पण की गई पॉलिसी को पुनः स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही 5 साल की लॉक–इन अवधि के दौरान पॉलिसीधारक से पुनः स्थापना के लिए अनुरोध प्राप्त हो।

क्यूआरओपीएस के मामले में, अभ्यर्पण प्रावधानों को एचएमआरसी के नियमों और विनियमों के अनुसार प्रक्रियाओं के संबंध में के बारे में, विशिष्ट प्रावधान के अधीन किया जाएगा।

12. नियमित प्रीमियम पॉलिसी के तहत स्थगन:

यदि नियमित प्रीमियम पॉलिसी के तहत देय प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह अवधि की समाप्ति से पहले नहीं किया गया है, तो पॉलिसी समाप्ति की स्थिति में होगी।

अनुग्रह अवधि के दौरान, पॉलिसी को चालू माना जाएगा और अनुग्रह अवधि के दौरान पॉलिसी के तहत देय लाभ वही होंगे जो चालू पॉलिसी के तहत होते हैं। सभी शुल्क, यदि लागू हों, तो यूनिट फंड से पैरा 9 में निर्दिष्ट अनुसार काट लिए जाएंगे।

ऐसी बंद पॉलिसी के साथ निम्नानुसार व्यवहार होगा :

ख) यदि पॉलिसी 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के दौरान स्थगित कर दी जाती है:

अनुग्रह अवधि की समाप्ति पर, पैरा 9.ज में निर्दिष्ट लागू स्थगन शुल्क को काटने के बाद यूनिट फंड मूल्य को पैरा 13.क में बताए अनुसार डिस्कन्टिन्यूड

पॉलिसी फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और जोखिम कवर समाप्त हो जाएगा। ऐसे मामले में, केवल 50 बेसिस पॉइंट प्रति वर्ष का फंड मैनेजमेंट चार्ज डिस्कंटिन्यूअन्स पॉलिसी फंड से काटा जाएगा।

इस तरह की समाप्ति पर, प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से तीन महीनों के भीतर आपको एक सूचना भेजी जाएगी, जिसमें पॉलिसी की स्थिति और पहले भुगतान न किए गए प्रीमियम की तिथि से तीन साल की पुनः प्रचलन अवधि के दौरान पॉलिसी के **पुनः प्रचलन का विकल्प** बताया जाएगा।

ऐसे मामलों में, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :

क. यदि आप **पुनः प्रचलन करने का विकल्प चुनते हैं** और उसके बाद 3 साल की पुनः प्रचलन अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी को पुनः प्रचलित करने के विकल्प का उपयोग करते हैं, तो पॉलिसी पैरा 15.iii में निर्दिष्ट अनुसार पुनः प्रचलित की जाएगी)।

ख. यदि आप **पुनः प्रचलित करने का विकल्प चुनते हैं, लेकिन** 3 साल की पुनः प्रचलन अवधि के दौरान पॉलिसी को **पुनः प्रचलित नहीं करते हैं,** तो पैरा 13.ख में निर्दिष्ट पॉलिसी के संबंध में डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड की प्राप्त राशि का उपयोग **पुनः प्रचालित अवधि के अंत या लॉक–इन अवधि के अंत, जो भी बाद में हो,** के समय पैरा 2.ख).ii में उल्लिखित वार्षिकीकरण प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। पुनः प्रचलन अवधि के लॉक–इन अवधि के बाद समाप्त होने की स्थिति में, पॉलिसी पुनर्जीवन अवधि के अंत तक डिस्कंटिन्यूअन्स पॉलिसी फंड में बनी रहेगी।

ग. यदि आप पॉलिसी को **पुनः प्रचालित करने के विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं,** तो पॉलिसी बिना किसी जोखिम कवर के जारी रहेगी और पॉलिसी डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड में निवेशित रहेगी। जैसा कि पैरा 13.बी में निर्दिष्ट है **लॉक–इन अवधि की समाप्ति की तिथि पर** पॉलिसी के संबंध में डिस्कंटिन्यूअन्स पॉलिसी फंड की प्राप्त राशि का उपयोग पैरा 2.ख).ii में उल्लिखित वार्षिकीकरण प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

घ. हालांकि, जैसा कि पैरा 13.बी में निर्दिष्ट है, आपके पास पॉलिसी का किसी भी समय **अभ्यर्पण करने का विकल्प** भी होगा और **अभ्यर्पण की तारीख या लॉक–इन अवधि की समाप्ति की तिथि पर** पॉलिसी के संबंध में डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी फंड की प्राप्त राशि का उपयोग पैरा 2ख).ii में उल्लिखित वार्षिकीकरण प्रावधान के अनुसार **लॉक–इन अवधि के अंत या अभ्यर्पण की तिथि के अंत में,** किया जाएगा, **जो भी बाद में हो।**

च. यदि बीमित व्यक्ति की पुनर्जीवन अवधि या लॉक–इन अवधि के दौरान **मृत्यु** होती है, जैसा भी मामला हो, **तो मृत्यु की सूचना की तिथि** पर पॉलिसी के संबंध में डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड की प्राप्त राशि, जैसा कि पैरा 13.बी में निर्दिष्ट है, नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी को मृत्यु हितलाभ के रूप में **तुरंत** देय होगी।

नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी पॉलिसी की प्राप्त राशि का उपयोग पैरा 2.क.ii में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार करेगा, जो उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है।

II) यदि पॉलिसी 5 साल की लॉक–इन अवधि के बाद डिस्कंटिन्यू/समाप्त की जाती है:

अनुग्रह अवधि की समाप्ति पर, 5 साल की लॉक–इन अवधि के बाद प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण **नियमित प्रीमियम** पॉलिसी स्थगित होने की स्थिति में, पॉलिसी को कम भुगतान वाली पॉलिसी में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिसमे प्रथम अदत्त प्रीमियम (एफयूपी) की तिथि तक प्राप्त कुल प्रीमियम के 105% में से बीमित व्यक्ति की मृत्यु से तुरंत पहले की दो वर्ष की अवधि के दौरान की गई आंशिक निकासी घटाकर मिली राशि के बराबर सुनिश्चित राशि दी जाएगी। पॉलिसी कम भुगतान वाली स्थिति में बनी रहेगी। ऐसे मामले में, पैरा 9 में निर्दिष्ट सभी लागू शुल्क यूनिट फंड से काट लिए जाएंगे।

इस तरह की समाप्ति पर, प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से तीन महीने के भीतर आपको एक सूचना भेजी जाएगी, जिसमें पॉलिसी की स्थिति और विकल्पों के बारे में बताया जाएगा (क) पॉलिसी को प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से तीन वर्षों की पुनः प्रचलन अवधि के दौरान या निहितीकरण की तिथि तक, जो भी पहले हो, पुनः प्रचालित करने के लिए; या (ख) पॉलिसी को पूरी तरह से वापस लेने के लिए।

ऐसे मामलों में निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं:

i) यदि आप **पुनः प्रचालित करने का विकल्प चुनते हैं** और पुनः प्रचलन अवधि के दौरान या निहितीकरण की तिथि तक, जो भी पहले हो, कभी भी पॉलिसी को **पुनः प्रचालित करते हैं,** तो पॉलिसी को पैरा 15.iii) में निर्दिष्ट के अनुसार पुनः प्रचालित किया जाएगा।

ii) यदि आप **पुनः प्रचालित करने का विकल्प चुनते हैं**, लेकिन पुनः प्रचलन अवधि के दौरान या निहितीकरण की तिथि तक, जो भी पहले हो, पॉलिसी को **पुनः प्रचालित नहीं करते हैं,** या कोई विकल्प नहीं चुनते हैं, तो पॉलिसी पुनः प्रचलन अवधि के अंत या निहितीकरण की तिथि तक, जो भी पहले हो, **कम भुगतान वाली स्थिति में बनी रहेगी।**

ऐसे मामलों में, **पुनः प्रचलन अवधि समाप्ति की तिथि या निहितीकरण की तिथि की पर, जो भी पहले हो,** यूनिट फंड वैल्यू का उपयोग पैरा 2.ख).ii में उल्लिखित वार्षिकीकरण प्रावधान के अनुसार, पुनः प्रचलन अवधि के अंत में या निहितीकरण की तिथि, जो भी पहले हो, किया जाएगा।

iii) हालांकि, यदि आप **पूर्ण निकासी** का विकल्प चुनते हैं या कभी भी पॉलिसी को **अभ्यर्पण** करते हैं, तो ऐसी स्थिति में, यूनिट फंड वैल्यू के बराबर राशि का उपयोग पैरा 2. ख).ii में उल्लिखित वार्षिकीकरण प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

iv) यदि पुनः प्रचलन अवधि या निहितीकरण की तिथि से पहले बीमित व्यक्ति की **मृत्यु** होती है, तो निम्नलिखित में से जो भी **अधिक** होगा, वह मृत्यु हितलाभ के रूप में देय होगा:

- मृत्यु की सूचना की तिथि पर यूनिट फंड वैल्यू; या
- भुगतान की गई बीमा राशि

जहां,

भुगतान की गई बीमा राशि प्रथम अदत्त प्रीमियम (एफयूपी) की तिथि तक प्राप्त कुल प्रीमियम के 105% में से बीमित व्यक्ति की मृत्यु से तुरंत पहले की दो वर्ष की अवधि के दौरान की गई आंशिक निकासी घटाकर मिली राशि होगी।

नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी पॉलिसी की प्राप्त राशि का पैरा 2.क.ii में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार उपयोग उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन करेगा।

13. पॉलिसी का धन बंद पॉलिसी फंड में होने के दौरान पॉलिसी के साथ व्यवहार:

यदि 5 वर्षों की लॉक–इन अवधि के दौरान कोई पॉलिसीधारक अभ्यर्पण के लिए आवेदन करता है (नियमित/सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के तहत) या **नियमित प्रीमियम** पॉलिसी के तहत अनुग्रह अवधि समाप्त होने से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी समाप्ति की स्थिति में होगी।

क. यूनिट फंड का मौद्रिक राशि में परिवर्तन और बंद/डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी फंड में यूनिट्स का आवंटन:

पॉलिसी के बंद/डिस्कंटिन्यू होने पर, पैरा 9.ज में **निर्दिष्ट अनुसार सम्पति शुल्क काटने के बाद पॉलिसी स्थगित होने की तिथि पर** यूनिट फंड मूल्य, डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और जोखिम कवर समाप्त हो जाएगा। जहां, यूनिट फंड मूल्य की गणना स्थगन की तिथि पर यूनिट फंड में मौजूद यूनिट्स की संख्या को एनएवी से गुणा करके की जाएगी।

डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी फंड की यूनिट्स का आवंटन, स्थगन की तिथि पर डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी फंड के एनएवी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी को किया जाएगा।

"**पॉलिसी के स्थगन की तिथि**" वह तिथि होगी जिस दिन बीमित व्यक्ति/पॉलिसीधारक से पॉलिसी के अभ्यर्पण के बारे में सूचना प्राप्त की जाएगी या जब अनुग्रह अवधि समाप्त होगी (यदि अनुग्रह अवधि के दौरान निर्धारित नियमित प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है), जो भी पहले हो।

ख. डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी फंड की प्राप्त राशि:

डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड(SFIN:ULIF00501/02/22LICDPFPENS512) एक अलग यूनिट फंड है और इसमें यूनिट लिंक्ड पेंशन योजनाओं के तहत प्रदान की गई सभी पॉलिसियों के सभी डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड शामिल होंगे। इस फंड पर केवल पैरा 9.घ में निर्दिष्ट फंड प्रबंधन शुल्क (एफएमसी) लागू होगा।

यूनिट फंड मूल्य जो पैरा 9.ज में लिखे अनुसार डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड में स्थानांतरित किया जाता है, वह स्थगन की तिथि से तब तक निवेशित रहेगा जब तक कि पॉलिसी, बंद/डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी फंड से बाहर न निकल जाए, चाहे वह मृत्यु, समर्पण, पुनः प्रचलन, पॉलिसी समाप्ति पर 5 वर्ष की लॉक–इन–अवधि के अंत में या 3 वर्ष की पुनः प्रचलन अवधि के पूरा होने पर (यदि पुनः प्रचलन अवधि 5 वर्ष की लॉक–इन–अवधि से आगे बढ़ती है), जो भी लागू हो।

पॉलिसी के संबंध में डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड की प्राप्त राशि इनमें से अधिक होगी:

- डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड का यूनिट फंड मूल्य; या
- गारंटीकृत राशि, जो न्यूनतम गारंटीकृत ब्याज दर का उपयोग करके गणना की जाएगी।

जहां, यूनिट फंड मूल्य की गणना डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड से पॉलिसी के बाहर निकलने की तिथि पर डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड के यूनिट्स की संख्या के साथ एनएवी को गुणा करके की जाएगी।

गारंटीकृत राशि वह राशि है, जो स्थगित होने की तारीख से लेकर डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड से पॉलिसी के बाहर निकलने तक गारंटीकृत ब्याज दर पर डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड में हस्तांतरित संचित होती है।

डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड' पर लागू न्यूनतम गारंटीकृत ब्याज दर प्रचलित विनियमों के अनुसार होगा। वर्तमान में यह गारंटीकृत ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है और समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा घोषित परिवर्तन के अधीन होगा।

14. अनिवार्य समाप्ति:

यदि पॉलिसी कम से कम 5 वर्षों तक चली है, बशर्ते कि पूरे 5 वर्षों के प्रीमियम का भुगतान किया गया हो और यूनिट फंड में शेष राशि नियमित प्रीमियम के मामले में एक वार्षिक प्रीमियम से कम हो या एकल प्रीमियम के मामले में एकल प्रीमियम का 30% हो, तो पॉलिसी अनिवार्य रूप से समाप्त कर दी जाएगी और यूनिट फंड में शेष राशि, यदि कोई हो, तो बीमित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी और प्राप्त राशि का उपयोग पैरा 2.क.ii में उल्लिखित विकल्पों में से एक का उपयोग करके वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाएगा, जो वहां उल्लिखित शर्तों और नियमों के अधीन होगा।

यह लागू होगा चाहे पुनः प्रचलन अवधि के दौरान पॉलिसी चालू हो या भुगतान किया गया है।

15. अन्य विशेषताएँ:

i) टॉप-अप: योजना के तहत किसी भी टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii) जोखिम कवर में वृद्धि/कमी: लागू नहीं

iii) पुनः प्रचलन

क. लॉक-इन अवधि के दौरान डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी का पुनः प्रचलन:

यदि आप 3 वर्ष की पुनः प्रचलन अवधि के दौरान पॉलिसी को पुनः प्रचालित करने का विकल्प चुनते हैं, तो पॉलिसी निम्नलिखित के अनुसार पुनः प्रचालित की जाएगी:

i. बिना ब्याज के सभी देय और अदत्त प्रीमियमों के भुगतान पर। स्थगन की तिथि से देय सभी बकाया प्रीमियम आवंटन शुल्क, पॉलिसी प्रशासन शुल्क और उस पर कर शुल्क यूनिट फंड से काट लिया जाएगा।

ii. पॉलिसी स्थगित करने के समय यूनिट फंड से काटा गया स्थगन शुल्क, यदि कोई हो, पॉलिसी के डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी फंड की प्राप्त राशि के साथ, यूनिट फंड में वापस जोड़ दिया जाएगा।

ख. लॉक–इन अवधि के बाद डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी का पूर्नचलन:

यदि आप पहले अदत्त प्रीमियम या निहितीकरण की तिथि से, जो भी पहले हो, 3 साल की पूर्नचलन अवधि के दौरान तक पॉलिसी को पुनः प्रचालित करने का विकल्प चुनते हैं, तो पॉलिसी निम्नलिखित के अधीन पुनः प्रचालित की जाएगी:

i. बिना ब्याज के सभी देय और अदत्त प्रीमियम के भुगतान पर।

ii. स्थगन की तिथि से लागू सभी बकाया प्रीमियम आवंटन शुल्क और उस पर और टैक्स शुल्क यूनिट फंड से काटे जाएंगे।

निगम की अंडरराइटिंग पालिसी के अनुसार निगम के पास, मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या डिस्कन्टिन्यूड पॉलिसी के पुनः प्रचलन को अस्वीकार करने का करने का अधिकार होगा। पुनः प्रचलन बीमित की निरंतर बीमायोग्यता की पुष्टि पर निर्भर करेगा, जो उपलब्ध जानकारी, दस्तावेज़ों और रिपोर्टों और इस संबंध में कोई भी अतिरिक्त जानकारी, यदि आवश्यक हो, के आधार पर होगा, और जैसा कि पुनः प्रचलन के समय निगम की अंडरराइटिंग नीति के अनुसार पुनः प्रचलन के समय पॉलिसीधारक/प्रस्तावक/जीवन बीमित द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। स्थगित की गई पॉलिसी का पुनः प्रचलन तब ही प्रभावी होगा जब इसे निगम द्वारा अनुमोदित, स्वीकृत किया जाएगा और पुनः प्रचलन रसीद जारी की जाएगी।

पॉलिसीधारक द्वारा मूल रूप से चुने गए अलग फंड की यूनिट्स या जैसा कि अंतिम स्विच में चुना गया था, या पुनः प्रचलन के समय चुना गया फंड, जैसा भी मामला हो, पुनः प्रचलन की तिथि पर एनएवी के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।

स्थगन की तिथि से पुनः प्रचलन की तिथि तक की गॉरन्टीड एडिशन्स पॉलिसी के पूर्नचलन की तिथि पर जमा की जाएगी।

ऊपर जो भी कहा गया है, उसके बावजूद, यदि यूनिट फंड मूल्य पुनः प्रचलन अवधि के दौरान शुल्क वसूलने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद पुनः प्रचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iv) पुनः स्थापना:

अभ्यर्पण की गई पॉलिसी को पुनः स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही 5 वर्षों की लॉक–इन अवधि के दौरान पॉलिसीधारक से पुनः स्थापना के लिए अनुरोध प्राप्त हो।

v) पॉलिसी में परिवर्तन/बदलाव (रेगुलर प्रीमियम के मामले में लागू):

अनुबंध के दौरान, पॉलिसी जारी होने के बाद प्रीमियम मोड में बदलाव की अनुमति न्यूनतम प्रीमियम और प्रीमियम गुणकों के अधीन दी जा सकती है जैसा कि पैरा 5.ii और iii में उल्लिखित है)। इस परिवर्तन के लिए यूनिट फंड वैल्यू से उचित संख्या में यूनिट्स को रद्द करके रु. 100/– का अतिरिक्त शुल्क काटा जाएगा और यह कटौती पॉलिसी में परिवर्तन की तिथि पर की जाएगी। यह परिवर्तन पॉलिसी वर्षगांठ की तिथि से प्रभावी होगा, जो परिवर्तन की तिथि से मेल खाती है या उसके बाद होगी।

निगम की अंडरराइटिंग पॉलिसी के अनुसार निगम के पास, पॉलिसी में परिवर्तन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। परिवर्तन तभी प्रभावी होगा जब इसे निगम द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और प्रस्तावक/बीमित व्यक्ति को विशेष रूप से लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

16. जोखिम कारक और अस्वीकरण:

i) एलआईसी की नई पेंशन प्लस एक यूनिट लिंक्ड पेंशन उत्पाद है, जो पारंपरिक बीमा उत्पादों से अलग है।

ii) यूनिट लिंक्ड पेंशन पॉलिसियों में भुगतान किए गए प्रीमियम बाजार से जुड़े निवेश जोखिमों के अधीन हैं, और यूनिट्स का एनएवी, फंड के प्रदर्शन और बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर ऊपर या नीचे जा सकता है, और बीमित व्यक्ति अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होगा।

iii) भारतीय जीवन बीमा निगम केवल बीमा कंपनी का नाम है और एलआईसी की नई पेंशन प्लस केवल यूनिट लिंक्ड पेंशन अनुबंध का नाम है, और यह किसी भी प्रकार से अनुबंध की गुणवत्ता, भविष्य की संभावनाओं या रिटर्न का संकेत नहीं देता है।

iv) कृपया अपने बीमा एजेंट या मध्यस्थ या बीमाकर्ता के पॉलिसी दस्तावेज से जुड़े जोखिमों और लागू शुल्कों के बारे में जानें।

v) इस पॉलिसी को खरीदने से पहले, यह अनुशंसा की जाती है कि आप इस ब्रॉशर और अनुकूलित हितलाभ चित्रण को पढ़ें और समझें कि योजना क्या है, यह कैसे काम करती है और इसमें शामिल जोखिम क्या हैं।

vi) इस अनुबंध के तहत पेश किए गए विभिन्न फंड प्रकार केवल फंड्स के नाम हैं और किसी भी प्रकार से इन योजनाओं की गुणवत्ता, उनकी भविष्य की संभावनाओं और रिटर्न का संकेत नहीं देते।

vii) पॉलिसी के तहत सभी हितलाभ समय–समय पर लागू कर कानूनों और अन्य वित्तीय अधिनियमों के अधीन हैं।

viii) आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित फॉर्म डी02 में आपकी पॉलिसी के तहत यूनिट्स का वास्तविक मूल्य निगम की वेबसाइट (www.licindia.in http://www.licindia.in>) पर उपलब्ध एलआईसी के ग्राहक पोर्टल पर एक सुरक्षित लॉगिन के माध्यम से देखा जा सकता है।

17. नि:शुल्क अवलोकन अवधि:

यदि आप पॉलिसी के नियम और शर्तों से संतुष्ट नहीं हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक मोड में पॉलिसी दस्तावेज़ की प्राप्ति की तिथि (जो भी पहले हो) से 30 दिनों की अवधि के भीतर, निगम को आपत्तियों का कारण बताते हुए पॉलिसी को वापस किया जा सकता है। ऐसा करने पर, निगम पॉलिसी को रद्द कर देगा और लौटाई जाने वाली राशि निम्न प्रकार से होगी:

अनुरोध की प्राप्ति की तिथि पर यूनिट फंड में यूनिट्स का मूल्य,

साथ ही प्रीमियम आवंटन शुल्क और पॉलिसी प्रशासन शुल्क, जो काटा गया है, यदि कोई हो और उस पर लागू कर,

चिकित्सा जाँच और विशेष रिपोर्ट की **कम** वास्तविक लागत, यदि कोई हो,

अधिकतम सुनिश्चित मृत्यु हितलाभ पर 0.20 रुपये प्रति हजार की दर से **कम** स्टांप शुल्क, यदि कोई हो।

यदि यह पॉलिसी क्यूआरओपीएस के रूप में खरीदी गई है जैसा कि ऊपर दिए गए पैरा 10 में वर्णित है, तो रद्दीकरण से प्राप्त राशि केवल उस फंड हाउस में वापस स्थानांतरित की जाएगी जहाँ से धन प्राप्त किया गया था। क्यूआरओपीएस के मामले में, उपरोक्त प्रावधानों के अलावा एचएमआरसी के नियमों और विनियमों के अनुसार प्रक्रियाओं से संबंधित कोई विशिष्ट प्रावधान भी लागू होंगे।

18. ऋण:

इस योजना के तहत कोई ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

19. पॉलिसी की समाप्ति:

पॉलिसी निम्नलिखित घटनाओं में से किसी के भी सबसे पहले होने पर तुरंत और अपने आप समाप्त हो जाएगी:

क) वह तिथि जिस दिन मृत्यु हितलाभ का भुगतान किया जाता है, यदि नामांकित व्यक्ति/लाभार्थी पूरे पॉलिसी की राशि को वापस लेने का विकल्प चुनता है और सेटलमेंट विकल्प का उपयोग नहीं करता है; या

ख) अंतिम किश्त के भुगतान पर यदि नामांकित व्यक्ति/लाभार्थी ने उपरोक्त पैरा 4.घ) में निर्दिष्ट सेटलमेंट विकल्प चुना है; या

ग) सेटलमेंट विकल्प अवधि शुरू होने के बाद नामांकित व्यक्ति/लाभार्थी की मृत्यु होने पर; या

घ) नि:शुल्क अवलोकन रद्दीकरण राशि के भुगतान पर; या

च) यदि पॉलिसी की राशि न्यूनतम वार्षिकी खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है जैसा कि आईआरडीएआई,(बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 की अनुसूची के विनियम 5(i) में परिभाषित किया जाता है, और समय-समय पर संशोधित किया जाता है, ऐसी स्तिथि में पॉलिसी की राशि को बीमित व्यक्ति/नामांकित/लाभार्थी को एकमुश्त भुगतान करने पर। या

छ) उपरोक्त पैरा 14 में निर्दिष्ट अनुसार अनिवार्य समाप्ति पर; या

ज) यदि पॉलिसी अस्थायी रूप से स्थगित स्थिति में है और पुनर्जीवन अवधि के दौरान शुल्क वसूल करने के लिए यूनिट फंड वैल्यू पर्याप्त नहीं है।

झ) पैराग्राफ 20 में निर्दिष्ट जब्ती की स्थिति में; या

ट) पॉलिसी की आय के वार्षिकीकरण के मामले में ली गई वार्षिकी योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार समाप्ति पर / अभ्यर्पण पर / बीमित व्यक्ति द्वारा स्थगन पर।

20. कुछ घटनाओं में जब्ती:

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन निहित है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी रोककर रखी गई है, तो, ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इस पॉलिसी के आधार पर

किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

21. कर:

भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं के शुल्क पर लगाए गए वैधानिक कर, यदि कोई हों, कर कानूनों और समय-समय पर लागू कर की दर के अनुसार होंगे।

इस योजना के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम और देय लाभों पर आयकर हितलाभ / प्रभाव के संबंध में, कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

22. नामांकन और समनुदेशन:

नामांकन समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार होगा।

समनुदेशन समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार होगा।

23. अपवर्जन:

आत्महत्या खंड:

पैरा 2.क में उल्लिखित मृत्यु पर देय लाभों के प्रावधान के बावजूद, आत्महत्या के कारण मृत्यु के मामले में दावा भुगतान से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:

- यदि पॉलिसी शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्जीवन की तिथि से 12 महीने के भीतर आत्महत्या के कारण मृत्यु होती है, तो पॉलिसीधारक के नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी को **मृत्यु की सूचना की तिथि** पर तुरंत यूनिट फंड मूल्य प्राप्त करने का अधिकार होगा। नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी पैरा 2.ए.ii में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार पॉलिसी की राशि का उपयोग करेगा, जो वहां उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगा। निगम इस पॉलिसी के तहत कोई अन्य दावा स्वीकार नहीं करेगा।
- **मृत्यु की तारीख** के बाद वसूल किए गए फंड प्रबंधन शुल्क (एफएमसी) और उस पर लगाए गए करों को छोड़कर कोई भी शुल्क और उस पर लगाए गए करों को मृत्यु की सूचना की तिथि पर उपलब्ध यूनिट फंड मूल्य में जोड़ा जाएगा।
- मृत्यु की तिथि के बाद जोड़ी गई किसी भी गारंटीकृत अभिवृद्धि को यूनिट फंड से वसूल किया जाएगा।

24. हितलाभ उदहारण:

चित्रण 1: एक नियमित प्रीमियम पॉलिसी

बीमित व्यक्ति की आयु (वर्षों में निकटतम जन्मदिवस)	30
पॉलिसी अवधि (वर्षों में)	42
प्रीमियम भुगतान अवधि (वर्षों में)	42
प्रीमियम भुगतान विकल्प और मोड	नियमित

प्रीमियम (रु.)	30,000
वितरण चैनल	ऑफ़लाइन बिक्री
फंड का प्रकार	बांड/सिक्योर्ड/बैलेंस्ड/ग्रोथ

योजना के तहत हितलाभ:

विवरण	**4% प्रतिवर्ष की दर से लाभ (रु.)**	**8% प्रतिवर्ष की दर से लाभ (रु.)**
कुल परिपक्वता हितलाभ (फंड वैल्यू)	2,333,031	6,485,578
प्रति वर्ष वार्षिकी	279,130	779,262
		शुद्ध चील्ड = 6.53%

नोट: उपरोक्त वार्षिकी जो प्रति वर्ष देय है, जीवन वार्षिकी विकल्प के तहत निगम की वर्तमान तत्काल वार्षिकी योजना पर आधारित है, जिसमें खरीद मूल्य पर 2% की छूट और उच्च खरीद मूल्य के लिए मौजूदा छूट पर विचार किया गया है, यह मानते हुए कि निहितीकरण के समय पॉलिसीधारक निगम वार्षिकी खरीदने का विकल्प चुनेगा, बिना संचित निधि से किसी भी नकदकरण मूल्य को लिए। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त वार्षिकी राशि में कोई जीएसटी नहीं जोड़ा गया है। हालाँकि, निहितीकरण के समय किसी भी लागू कर पर प्रचलित कर कानूनों और दरों के अनुसार विचार किया जाएगा। वार्षिकी भुगतान निहितीकरण के समय प्रचलित वार्षिकी योजना(यों) की शर्तों के अधीन होगा।

			4% प्रतिवर्ष की दर से हितलाभ (रु.)		**8% प्रतिवर्ष की दर से हितलाभ (रु.)**	
पॉलिसी के अंत की अवधि (वर्ष)	**संचित प्रीमियम (रु)**	**संचित गारंटीकृत परिवर्धन (रु)**	**फंड वैल्यू (रु)**	**मृत्यु हितलाभ (रु)**	**फंड वैल्यू (रु)**	**मृत्यु हितलाभ (रु)**
6	180,000	1,500	185,764	189,000	212,680	212,680
10	300,000	4,500	332,521	332,521	413,298	413,298
15	450,000	10,500	541,121	541,121	750,541	750,541
20	600,000	18,750	780,809	780,809	1,216,456	1,216,456
25	750,000	29,250	1,055,865	1,055,865	1,859,161	1,859,161
30	900,000	42,375	1,371,554	1,371,554	2,745,191	2,745,191
35	1,050,000	58,500	1,733,863	1,733,863	3,965,962	3,965,962
40	1,200,000	78,300	2,149,607	2,149,607	5,647,075	5,647,075
42	1,260,000	87,300	2,333,031	2,333,031	6,485,578	6,485,578

चित्रण 2: एक एकल प्रीमियम पॉलिसी

बीमित व्यक्ति की आयु (वर्षों में निकटतम जन्मदिवस)	30
पॉलिसी अवधि (वर्षों में)	42
प्रीमियम भुगतान विकल्प	एकल प्रीमियम
प्रीमियम (रु.)	1,00,000
वितरण चैनल	ऑफ़लाइन बिक्री
फंड का प्रकार	बांड/सिक्योर्ड/बैलेंस्ड/ग्रोथ

योजना के तहत हितलाभ:

विवरण	4% प्रतिवर्ष की दर से हितलाभ (रु.)	8% प्रतिवर्ष की दर से हितलाभ (रु.)
कुल परिपक्वता हितलाभ (फंड वैल्यू)	405,343	1,615,758
प्रति वर्ष वार्षिकी	47,731	193,314
		शुद्ध यील्ड = 6.85%

नोट: उपरोक्त वार्षिकी जो प्रति वर्ष देय है, जीवन वार्षिकी विकल्प के तहत निगम की वर्तमान तत्काल वार्षिकी योजना पर आधारित है, जिसमें खरीद मूल्य पर 2% की छूट और उच्च खरीद मूल्य के लिए मौजूदा छूट पर विचार किया गया है, यह मानते हुए कि निहितीकरण के समय बिना संचित निधि से किसी भी नकदकरण मूल्य को लिए। पॉलिसीधारक निगम वार्षिकी खरीदने का विकल्प चुनेगा, इसके अतिरिक्त, उपरोक्त वार्षिकी राशि में कोई जीएसटी नहीं जोड़ा गया है। हालाँकि, निहितीकरण के समय किसी भी लागू कर पर प्रचलित कर कानूनों और दरों के अनुसार विचार किया जाएगा। वार्षिकी भुगतान निहितीकरण के समय प्रचलित वार्षिकी योजना(यों) की शर्तों के अधीन होगा।

			4% प्रतिवर्ष की दर से हितलाभ (रु.)		8% प्रतिवर्ष की दर से हितलाभ (रु.)	
पॉलिसी के अंत की अवधि (वर्ष)	संचित प्रीमियम (रु)	संचित गारंटीकृत परिवर्धन (रु)	फंड वैल्यू (रु)	मृत्यु हितलाभ (रु)	फंड वैल्यू (रु)	मृत्यु हितलाभ (रु)
6	100,000	4,000	112,061	112,061	140,021	140,021
10	100,000	9,000	129,241	129,241	185,538	185,538
15	100,000	15,250	153,619	153,619	262,043	262,043
20	100,000	22,750	182,670	182,670	368,582	368,582
25	100,000	32,750	218,354	218,354	517,809	517,809
30	100,000	45,250	261,585	261,585	725,690	725,690
35	100,000	60,250	313,401	313,401	1,014,155	1,014,155
40	100,000	79,000	376,302	376,302	1,414,763	1,414,763
42	100,000	88,000	405,343	405,343	1,615,758	1,615,758

अस्वीकरण

i) ऑफ़लाइन खरीदी गई पॉलिसी के लिए उपरोक्त उदाहरण मानक जीवन (चिकित्सा, जीवन शैली और व्यवसाय के दृष्टिकोण से) पर लागू होते हैं।

ii) इन हितलाभ उदाहरणों में यह माना गया है कि एलआईसी पूरे पॉलिसी अवधि के दौरान 4% प्रति वर्ष या 8% प्रति वर्ष की अनुमानित निवेश दर अर्जित करने में सक्षम होगी, जैसा भी मामला हो। अनुमानित निवेश दर की गारंटी नहीं है, और यह आपको वापस मिलने वाली राशि की उच्च या निम्न सीमा नहीं है, क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य भविष्य के निवेश प्रदर्शन सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।

iii) उपरोक्त उदाहरण प्रचलित कर शुल्क को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं जो समय–समय पर परिवर्तन के अधीन हैं।

iv) चित्रण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक कुछ स्तर की मात्रा के साथ विभिन्न परिस्थितियों में उत्पाद की विशेषताओं और लाभों के प्रवाह की सराहना करने में सक्षम है।

v) एलआईसी अपने एजेंटों/मध्यस्थों, कर्मचारियों और अधिकारियों को 4% और 8% की उपरोक्त उदाहरणात्मक वृद्धि दर को छोड़कर, यूलिप फंड के भविष्य के प्रदर्शन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए अधिकृत नहीं करता है।

25. शिकायत निवारण तंत्र:

निगम का:

ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु निगम के पास शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क विवरण और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए निगम ने हमारे ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के माध्यम से ग्राहक अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/असंतोष दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति पर नज़र रख सकता है। ग्राहक किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ई-मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावा अस्वीकृति के निर्णय से संतुष्ट न होने वाले दावेदारों के पास अपने मामलों को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति के समक्ष उठाने का विकल्प है। प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय न्यायाधीश होता है।

आईआरडीएआई:

अगर प्राप्त प्रतिसाद से ग्राहक संतुष्ट न हो या 15 दिनों के अंदर उसे कोई प्रतिसाद नहीं मिलता है तो ग्राहक निम्नलिखित में से किसी माध्यम से पॉलिसीधारक सुरक्षा एवं शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकता है:

i) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (यानी आईआरडीएआई ग्रीविएंस कॉल सेंटर-(बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र)) पर कॉल कर सकता है.

ii) complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेज सकता है.

iii) https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है

iv) कूरियर/पत्र के माध्यम से शिकायत भेजने का पता:

महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे नंबर 115/1, वित्तीय जिला, नानकराम गुडा, गाचीबावली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना।

लोकपाल का:

दावों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावेदार बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जो ग्राहकों को कम लागत और शीघ्र मध्यस्थता प्रदान करता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 (समय–समय पर यथा संशोधित)

बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 के प्रावधान, समय–समय पर यथा संशोधित, लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

1. पॉलिसी की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद, यानी पॉलिसी जारी करने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के लिए राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर जीवन बीमा संबंधी किसी भी पॉलिसी पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

2. जीवन बीमा की पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है।

   बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या कानूनी प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामितियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और सामग्रियों के बारे में बताना होगा, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

   स्पष्टीकरण । – इस उप–धारा के उद्देश्य से ''धोखाधड़ी'' नामक अभिव्यक्ति का अर्थ बीमाधारक या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई भी कृत्य शामिल है :

   ए. सुझाव, एक तथ्य के रूप में उस बारे में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

   बी. बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिस तथ्य का उसे ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

   सी. धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

   डी. ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित

   स्पष्टीकरण ।। – बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन को प्रभावित करने की संभावना वाले तथ्यों के बारे में केवल चुप्पी ही धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि उस प्रकरण की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि उन्हें ध्यान में रखते हुए बीमाधारक या उसके अभिकर्ता का कर्तव्य बोलने के लिए मौन रहना है, या जब तक कि उसका मौन अपने आप में ही बोलने के बराबर न हो।

3. उपधारा (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी बीमाकर्ता द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकार नहीं किया जाएगा,

यदि बीमाधारक द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि किसी भौतिक तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या छिपाना उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही था, या उसकी मंशा तथ्य को जान–बूझकर दबाने की नहीं थी, या किसी भौतिक तथ्य का गलत विवरण या उसे दबाना बीमाकर्ता की जानकारी में है :

बशर्ते कि धोखाधड़ी के मामले में, यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो इसका खंडन करने का दायित्व लाभार्थियों का होता है।

स्पष्टीकरण – एक व्यक्ति जिसके द्वारा बीमा अनुबंध करवाने की माँग की जाती है और इस संबंध में बातचीत की जाती है, उसे अनुबंध के निर्माण के उद्देश्य से बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

4. जीवन बीमा पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर किसी भी समय इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है, कि बीमाधारक के जीवन की प्रत्याशा के संबंध में किसी भी तथ्य का कोई भी बयान देने या उसके संबंध में कोई तथ्य दबाकर रखने का काम गलत तरीके से प्रस्ताव या अन्य दस्तावेज़ में किया गया था, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या उसका पुनर्चलन किया गया था या उसके लिए राइडर जारी किए गए थे।

   बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या उसके वैधानिक प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और सामग्रियों के बारे में बताना होगा, जिस पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकार करने का निर्णय आधारित है:

   इसके अलावा, यदि पॉलिसी को गलत बयान या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के आधार पर अस्वीकार किया जाता है, न कि धोखाधड़ी के आधार पर, तो अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर एकत्र किए गए प्रीमियम का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशिती को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

   स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के उद्देश्य से तथ्य का गलत बयानी करना या छिपाना तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसका बीमाकर्ता द्वारा उठाए गए जोखिम पर सीधा असर न होता हो, बीमाकर्ता पर यह प्रदर्शित करने का दायित्व है कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती तो ऐसे में बीमाधारक को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई होती।

5. इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण माँगने से रोके, यदि उसे ऐसा करने का अधिकार है, और किसी भी पॉलिसी को केवल इसलिए सवाल उठाने योग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें बाद में केवल उस परवर्ती प्रमाण पर समायोजित की गई हैं, कि प्रस्ताव में बीमाधारक की आयु गलत बताई गई है।

समय–समय पर यथा संशोधित छूट का निषेध (बीमा अधिनियम,1938 की धारा 41):

1) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संदर्भ में कोई बीमा लेने या नवीनीकृत करवाने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी रियायत के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रलोभन देने की अनुमति नहीं देगा या प्रलोभन देने का प्रस्ताव नहीं करेगा, और न ही पॉलिसी लेने या पुर्नचलन करवाने वाला कोई व्यक्ति कोई रियायत स्वीकार करेगा, जिसमें वह रियायत अपवाद है जो बीमाकर्ता के प्रकाशित सूची पत्रो या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।

2) इस अनुभाग के प्रावधानों का अनुपालन करने में चूक करने वाले किसी भी व्यक्ति पर अर्थदंड लगाया जा सकता है, जो रुपए दस लाख तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न अनुच्छेद, समय–समय पर यथा संशोधित लागू होते हैं।

इस उत्पाद विवरणिका में इस योजना की केवल मुख्य विशेषताओं का ही वर्णन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया पॉलिसी दस्तावेज़ देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.licindia.in पर लॉग ऑन करें।

नकली फ़ोन कॉल्स तथा झूठे/धोखेधड़ी वाले ऑफ़र्स से सावधान

आईआरडीएआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम्स के निवेश, राशियां लौटाना जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। जिन पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों को ऐसे फ़ोन कॉल्स मिलें, वे कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें।

भारतीय जीवन बीमा निगम

''भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रुप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहूँच सकें और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सकें। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरंतर एक महत्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

पंजीकृत कार्यालय:
भारतीय जीवन बीमा निगम
केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेम जीवन बीमा
मार्ग, मुंबई – 400021
वेबसाईट: **www.licindia.in**
पंजीकरण संख्या: 512